

न्यायालय:-द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 184 / 2016

संस्थित दिनांक-18 / 03 / 2016

फाइलिंग क्रमांक-3007172016

श्रीमती जसोदा आयु 30 साल  
पत्नी सतेन्द्रसिंह जाति जाटव  
निवासी ग्राम जमदारा तहसील गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0  
हाल-पवनसुत कॉलोनी ग्वालियर म0प्र0

.....अपीलार्थी / फरियादिया

### वि रू द्ध

- 1- सतेन्द्र पुत्र रायभान आयु 32 साल
- 2- रायभान पुत्र तेज सिंह आयु 60 साल
- 3- पूरन पुत्र तेजसिंह आयु 48 साल
- 4- रामकुंअर पत्नी रायभान आयु 60 साल  
निवासीगण ग्राम कल्याणपुरा थाना गोहद,  
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 .....प्रत्यर्थीगण / आरोपीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीगण / आरोपीगण द्वारा श्री सुरेश गर्जर अधिवक्ता।

न्यायालय-सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जे0एम0एफ0सी0, गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक-175 / 2011 ई0फौ में घोषित निर्णय दिनांक 22 / 02 / 2016 से उत्पन्न दांडिक अपील।

### -:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 12 जनवरी 2017 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. फरियादिया / अपीलार्थी श्रीमती जसोदा बाई की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-372(3) परंतुक द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 175 / 2011 ई0फौ निर्णय दिनांक- 22 / 02 / 2016 में घोषित निर्णय से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण / प्रत्यर्थीगण को धारा-294, 506 भाग-02 भा0द0वि0 के अपराध से दोषमुक्त करते हुए धारा-323 / 34 के अपराध में केवल एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है, कि फरियादिया / अपीलार्थी श्रीमती जसोदा बाई का आरोपी / प्रत्यर्थी सतेन्द्र के साथ हिन्दू रीति रिवाज से वर्ष 2001 में विवाह हुआ था और विवाह पश्चात वह ससुराल में रही, यह भी स्वीकृत है, कि प्रत्यर्थी / आरोपी रायभान सिंह जसोदा बाई का ससुर, पूरनसिंह चचिया ससुर, श्रीमती

रामकुंअर बाई सास है, यह भी स्वीकृत है, कि रायभानसिंह और पूरनसिंह अलग-अलग मकान में रहते हैं।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि फरियादिया जसोदा का विवाह दिनांक 27/04/01 को आरोपी सतेन्द्र सिंह के साथ हुआ था, शादी के कुछ दिनों बाद से ही फरियादिया जसोदा का पति आरोपी सतेन्द्र, सास रामकुंअर ससुर रायभानसिंह एवं अन्य लोग फरियादिया को दहेज के लिए प्रताडित करने लगे, जिसकी रिपोर्ट फरियादिया ने महिला थाना ग्वालियर में की थी, तथा आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-498 के अंतर्गत मामला संचालित हुआ था, फरियादिया ने अपने व अपने पुत्रों के भरण पोषण के लिए परिवार न्यायालय ग्वालियर में भी आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्तरिम भरण पोषण देने का आदेश पारित किया गया था। फरियादिया ने ग्वालियर न्यायालय में भा0द0वि0 की धारा-500 के अंतर्गत पति के विरुद्ध परिवादपत्र भी पेश किया था।
4. उक्त धारा 500 भा0द0वि0 का परिवादपत्र पेश होने के पश्चात फरियादिया जसोदा व आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो गया था, तथा आरोपीगण फरियादिया को रखने के लिए तैयार हो गए थे, न्यायालय द्वारा फरियादिया को ग्राम कल्याणपुरा रहने के लिए भेजा गया था, फरियादिया ने पति व ससुराल वालों द्वारा सही तरीके से रखने पर परिवादपत्र एवं भरण पोषण वापिस ले लिया था। दिनांक 14/12/10 को जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय ग्वालियर में भा0द0वि0 धारा-498ए के प्रकरण में पेशी थी, जिस पर फरियादिया अपने पति आरोपी सतेन्द्र के साथ न्यायालय में उपस्थित हुई थी, किंतु आरोपी उसे न्यायालय में ही छोड़कर ग्राम कल्याणपुरा चला गया था, घटना दिनांक 15/12/10 को शाम 05:00 बजे फरियादिया जसोदा अपने चचेरे भाई कमलसिंह के साथ कल्याणपुरा गई थी, तो आरोपी सतेन्द्रसिंह, रामकुंअर, रायभान एवं चचिया ससुर पूरनसिंह ने फरियादिया पर धारा-498ए के प्रकरण में राजीनामा करने के लिए दबाव डाला था, तथा उक्त बात पर आरोपीगण ने फरियादिया जसोदा की लात धूसों एवं चप्पलों से मारपीट की थी, तथा आंगन में उठाकर पटका था, जिससे फरियादिया के सिर हाथ, पैर एवं शरीर के अन्य हिस्सों में मुंदी चोटें आई थीं, आरोपीगण ने फरियादिया को जान से मारने की धमकी भी दी थी, एवं फरियादिया को कमरे में बंद कर दिया था, फरियादिया जसोदा ने अपने पिता को फोन पर घटना के बारे में सूचना दी थी, तो उसके पिता दूसरे दिन फरियादिया को आकर ले गया था, तब फरियादिया जसोदा ने घटना के संबंध में दिनांक 16/12/10 को थाना प्रभारी गोहद को लेखीय आवेदन दिया था, उक्त आवेदन की पुलिस थाना गोहद द्वारा जांच की गई थी, तथा जांच पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद में अप0कं0-45/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था, विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण को धारा-294 एवं 506 भाग-02 एवं 323/34 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर, आरोपीगण को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपों से इंकार किया, उनका विचारण किया गया, विचारणोपरांत आरोपीगण को धारा-294 एवं 506 भाग-02 भा0द0वि0 के अपराध में दोषमुक्त किया गया, तथा धारा-323/34 भा0द0वि0 के अपराध के लिए केवल एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया, जिससे व्यथित होकर फरियादिया/अपीलार्थी की ओर से यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है ।
6. फरियादिया/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलीय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा-294 एवं 506 भाग-02 भा0द0वि0 में घोषित दोषमुक्ति का निर्णय राजनियम एवं पत्रावली से विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है, क्योंकि अ0सा0-01 जसोदा ने अपने मुख्यपरीक्षण के 9वीं लाइन में स्वयं को आरोपीगण द्वारा मां बहिन की गालियां देना बताया है, तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा-05 में तथा पैरा-06 में भी भा0द0वि0 की धारा-294 के स्पष्ट तथ्य आए हैं, इसी प्रकार चश्मदीद साक्षी कमलसिंह ने मुख्य परीक्षण में भी आरोपीगण के गाली देना व्यक्त किया है, विवेचक ने भी अ0सा0-01 की अभिसाक्ष्य का समर्थन किया है, तथा अ0सा0-01 ने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कहा है, कि आरोपीगण ने दहेज के मुकद्दे में राजीनामा करने नहीं तो जान से खत्म करने की धमकी दी है, प्रतिपरीक्षण के दौरान इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है और वे मौन रहे हैं, जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है, आरोपगण की दोषमुक्ति लेख की है, फरियादिया/अपीलार्थी का यह भी आधार रहा है, कि बचाव साक्षी होतमसिंह का कथन न्यायालय में हुआ है, जिसके कथन उक्त धाराओं के संबंध में कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया है, तथा यह भी आधार लिया है, कि कि मारपीट का मामला सिद्ध पाते हुए, केवल एक-एक हजार रुपये का अर्थदण्ड किया गया है, जब कि धारा-323/34 भा0द0वि0 के अपराध के लिए एक वर्ष के किसी भी भांति के कारावास की सजा का प्रावधान है, और अर्थदण्ड करने से महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम नहीं हो सकते हैं, तथा उदारता की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो दण्डाज्ञा पारित की है, उसे अपास्त कर कारावास के अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए ।

7. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के

निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- “क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 175/11 में दिनांक 22/02/16 में आरोपीगण/प्रत्यर्थीगण की धारा-294 एवं 506 भाग-2 में की गई दोषमुक्ति साक्ष्य व विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किए जाने योग्य है।

2- “क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आलोच्य निर्णय में प्रत्यर्थीगण/आरोपीगण को धारा-323/34 भा0द0वि0 में केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर कोई तथ्यात्मक या विधि संबंधी भूल या त्रुटि की है।

3- “क्या प्रत्यर्थीगण/आरोपीगण प्रदत्त अर्थदण्ड की दण्डाज्ञा के स्थान पर कारावास के दण्डादेश से दण्डित किए जाने योग्य हैं।

--- निष्कर्ष के आधार ---

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 का विश्लेषण एवं निराकरण

8. अपीलार्थी/फरियादिया श्रीमती जसोदा बाई के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने विस्तृत मौखिक तर्कों में अपील ज्ञापन में उठाए गए बिन्दुओं और लिए गए आधारों को दोहराते हुए, इस आशय के तर्क किए हैं, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण/प्रत्यर्थीगण को धारा-294 और 506 भाग-02 भा0द0वि0 में दोषमुक्त कर गंभीर विधिक भूल की है, क्योंकि धारा-294 भा0द0वि0 को प्रमाणित करने के लिए किसी भी व्यक्ति का कोई भी अश्लील कृत्य पर्याप्त होता है, और फरियादी द्वारा अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में मुख्य परीक्षण में ही आरोपीगण/प्रत्यर्थीगण के द्वारा मां बहिन की गालियां देना बताया है, जिसका चक्षुदर्शी साक्षी कमलसिंह ने समर्थन किया है, और उसके बाबत प्रत्यर्थीगण/आरोपीगण की ओर से कोई साक्ष्य के दौरान सुझाव देकर खण्डन नहीं कराया है और मौन रहे हैं, इसी प्रकार दहेज प्रकरण में राजीनामा करने के लिए जान से खत्म करने की धमकी दी गई थी, जिसके बाबत भी फरियादी जसोदा बाई और साक्षी कमलसिंह के द्वारा न्यायालय में यह स्पष्ट साक्ष्य दी गई है, जिसका भी कोई खण्डन नहीं किया गया, ऐसे में उक्त दोनों अपराधों से आरोपीगण/प्रत्यर्थीगण की दोषमुक्ति राजनियम और साक्ष्य के विरुद्ध है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का दोषमुक्ति का निर्णय निरस्ती योग्य है।

9. फरियादिया/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है, कि मारपीट का मामला सिद्ध पाते हुए, केवल एक-एक हजार रुपये का अर्थदण्ड किया गया है, जब कि धारा-323/34 भा0द0वि0 के अपराध के लिए एक वर्ष के किसी भी भांति के कारावास के सजा का प्रावधान है, और अर्थदण्ड करने से महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम नहीं हो सकते हैं, तथा उदारता की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो



दण्डाज्ञा पारित की गई है, उसे अपास्त कर करावास के अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

10. प्रत्यर्थागण/आरोपीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक तर्कों में इस आशय का निवेदन किया है, कि अभियोजन का पूरा मामला झूठा है, और उन्हें झूठा फंसाया है, आरोपीगण/प्रत्यर्थागण द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था, जसोदा बाई विवाह के बाद ससुराल में अच्छी तरह से रही थी और उसके साथ गाली गलोच मारपीट या जान से मारने की धमकी देने जैसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई, बल्कि फरियादिया जसोदा बाई और उसके मायके वालों ने दहेज की प्रताड़ना का झूठा मामला भी ग्वालियर में चला रखा है, तथा परेशान करने के लिए भरण पोषण की कार्यवाही भी अलग से की है, जो विचाराधीन है, और भरण पोषण के मामलों में राजीनामा फरियादिया ने कर लिया था, पूरनसिंह और रायभान अलग अलग मकान में रहते हैं, और जसोदा बाई व उसका पति सतेन्द्र अलग रहते थे, जिससे ही मामला झूठा है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा-294, 506 भा0द0वि0 में दोषमुक्ति उचित निष्कर्ष निकालते हुए की है, किंतु धारा-323/34 भा0द0वि0 का अपराध भी प्रमाणित नहीं था, जिसमें दोषसिद्धि गलत की है और जुर्माने का दण्ड दिए जाने के कारण उन्होंने कोई अपील नहीं की, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय स्थिर रखा जाए और अपील निरस्त की जाए।
11. दण्डिक अपील के निराकरण करते समय अपीलीय न्यायालय को भी साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जैसा कि न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम0पी0 विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 फर्स्ट विधि भास्कर (एस0सी0) पेज-01 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। इसलिए विचाराधीन अपील में मूल प्रकरण में आई साक्ष्य का अपील स्तर पर भी मूल्यांकन करना आवश्यक है। यह भी सुस्थापित विधि है, कि अपीलीय न्यायालय द्वारा सामान्यतः तब तक विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता, कि अधीनस्थ न्यायालय ने कुल मिलाकर साक्ष्य के मर्मभूत भाग की उपेक्षा की और साक्ष्य पर विश्वास न करते हुए अपना निष्कर्ष निकाला, इस दृष्टि से भी अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में निकाले गए निष्कर्ष को भी रेखांकित करने की आवश्यकता रहेगी।
12. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर आई साक्ष्य का अध्ययन करने पर यह विदित है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा-294 एवं 506 भाग-02 भा0द0वि0 के संबंध में प्रस्तुत की गई अभियोजन की साक्ष्य को सुदृढ़ नहीं माना और उसके कारण प्रत्यर्थागण/आरोपीगण को उक्त दोनों धाराओं के आरोपों से दोषमुक्ति, इस आधार पर निष्कर्षित की कि उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाण हेतु आवश्यक संघटकों की पूर्ति नहीं होती है, तथा धारा-323/34 भा0द0वि0 के आरोप को प्रमाणित निर्णित करते हुए

केवल अर्थदण्ड की दण्डाज्ञा आरोपीगण के आचरण, प्रकरण की विचारण अवधि, फरियादिया श्रीमती जसोदा बाई की चोटों की प्रकृति व प्रकरण की अन्य परिस्थितियों के मद्देनजर कुल एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड को संतोषप्रद माना, जिसे फरियादिया/अपीलार्थी ने उक्त अपील के माध्यम से चुनौती दी है, इसलिए जो आधार लिए गए हैं, और जो तर्क किए गए हैं, उन्हें साक्ष्य की कसौटी पर परखने की आवश्यकता भी है, हालांकि प्रत्यर्थागण/आरोपीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो तर्क किए गए हैं, उसके परिपेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है, कि आरोपीगण/प्रत्यर्थागण की ओर से कोई आलोच्य निर्णय को चुनौती देते हुए अपील नहीं की गई है, इसलिए उनके तर्क को ग्रहण नहीं किया जा सकता है और मूलतः अपीलार्थी के आधारों को देखने की आवश्यकता है।

13. जहां तक धारा-294 और 506 भाग-02 भा0द0वि0 के आरोपों से की गई दोषमुक्ति का प्रश्न है, उसके संबंध में श्रीमती जसोदा बाई अ0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में मुख्यपरीक्षण के पैरा-01 में यह कहा है, कि इन लोगों ने अर्थात् प्रत्यर्थागण/आरोपीगण ने उसे और उसके भाई को मां बहिन की गालियां दीं थीं और उसे कमरे में बंद कर दिया था, डर के कारण उसका भाई घर चला गया था, उसने अपने पिता को फोन पर सूचना दी थी, दूसरे दिन पिता ने आकर उसे निकाला था, और फिर गोहद थाने रिपोर्ट को गए थे, आरोपीगण/प्रत्यर्थागण ने रिपोर्ट करने के बाद कहा था, कि रिपोर्ट की, तो जान से खत्म कर देंगे, फिर उसने जान से मारने की धमकी की बात रिपोर्ट करने से पहले की बताई है, साक्षिया ने पैरा-04 में भाई का नाम कमलसिंह बताया है, कमलसिंह अ0सा0-03 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने जसोदा को अपनी चचेरी बहिन बताया है। फरियादिया की रहने की स्थिति को देखा जाए तो जसोदा अ0सा0-01 ने पैरा-02 में इस बात को स्वीकार किया है, कि उसके ससुर रायभान सिंह और चचिया ससुर पूरनसिंह अलग-अलग मकानों में रहते हैं और वह अपने पति व ससुर के घर में अलग रहते थे, उसकी शादी के पहले से ही तीनों भाई अलग-अलग हो गए थे, उसने ग्वालियर में भरण-पोषण के मामले में राजीनामा करने की बात स्वीकार करते हुए, यह भी कहा है, कि गाली-गलोच करते रहते थे और राजीनामा करने को कहते रहते थे, जब वह तीन-चार महीने ससुराल में भरण-पोषण के मामले में राजीनामा करने के बाद गई थी, और उसने राजीनामा करने से पति सतेन्द्र के कहने पर मना कर दिया था।

14. जसोदा बाई अ0सा0-01 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-4 में अपने भाई कमलसिंह के साथ 15 तारीख को ससुराल ग्राम कल्याणपुरा में शाम करीब 04:00 बजे आने की बात बताई है, और प्रकरण की मूल घटना 15/12/10 के शाम करीब 05:00 बजे ग्राम कल्याणपुरा की ही कथानक मुताबिक बताई गई है, पैरा-05 में उसने घटना के बारे में यह कहा है, कि उसकी तुरंत मारपीट नहीं की गई थी, जब आरोपीगण/प्रत्यर्थागण अपने-अपने काम से आ गए थे,

तब उन्होंने गाली-गलोच उससे और उसके भाई से की थी, जिससे उसका भाई डर के मारे ग्राम जमदारा चला गया था, रिपोर्ट के संबंध में उसका पैरा-07 में कहना है, कि रिपोर्ट का आवेदन बकील से लिखवाया था और उसमें उसके पिता ने वे बातें लिखवाई थीं जो उस पर बीती गई थीं।

15. फरियादिया श्रीमती जसोदा बाई के पिता मोहरसिंह अ0सा0-02 ने अपने अभिसाक्ष्य में पुत्री जसोदा की मारपीट के समय ही गाली गलोच करने की बात बताई और यह कहा है, कि धारा-498ए भा0द0वि0 के प्रकरण में राजीनामा करने के लिए उसकी लडकी से आरोपीगण ने कहा था, तो उसने राजीनामा तो कोर्ट में ही होने की बात कही थी, उसी पर मारपीट कर दी गई थी, पैरा-03 में उसने यह स्वीकार किया है, कि तीन-चार महीने लडकी ससुराल में रही थी, तब किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई थी, क्योंकि इस दौरान मारपीट की जाती तो उसकी लडकी अवश्य बताती। कमलसिंह अ0सा0-02 जिसे की घटना के समय साथ में जसोदा बाई ने बताया है, उसके मुताबिक वह फरियादिया जसोदा बाई को ससुराल ग्राम कल्याणपुरा छोड़ने के लिए गया था, तब ससुराल वालों ने कहा था, कि दहेज वाले प्रकरण में राजीनामा कर ले नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे और जसोदा की लात धूसों से मारपीट की थी, उसे गालियां भी दी थीं, तथा उसे मारने के लिए झपटे थे, तो वह भाग गया था, उसके मुताबिक जसोदा बाई ने सीधी रिपोर्ट की थी, आवेदन नहीं दिया था, जबकि जसोदा बाई मौखिक रिपोर्ट करना और बकील से आवेदन लिखवाकर देना दोनों बातें बताती है। ए0एस0आई0 बैजनाथ सिंह अ0सा0-05 द्वारा लेखीय आवेदन की जांच पर से एफ0आई0आर0 दर्ज होने की बात बताई गई है, अर्थात् मौखिक रिपोर्ट नहीं हुई।

16. धारा-294 एवं 506 भाग-02 भा0द0वि0 के संबंध में न्याय दृष्टांत **स्टेट विरुद्ध रामअवतार 1985 किमिनल लॉ रिपोर्टर एम.पी. पेज-01** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहां अभियुक्त के विरुद्ध अश्लील शब्दों का प्रयोग तथा धमकी देने का आरोप हो तो साक्षी का मात्र यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि सभी अभियुक्तों ने गालियां दी या धमकी दी। साक्ष्य प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध विनिर्दिष्ट स्वरूप का होना चाहिये और धमकी के विषय में जब तक यह प्रकट न हो कि किस अभियुक्त ने क्या कहा था, अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता है अर्थात् सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अस्पष्ट और सामान्य स्वरूप की साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं होगी तथा **लक्ष्मण विरुद्ध स्टेट 1989 जे.एल.जे. पेज-653** में धमकी के संबंध में यह मार्गदर्शित किया गया है कि इस उपबंध के अधीन अपराध गठित करने के लिए धमकी वास्तविक होनी चाहिये, देने वाले का आशय उसे कार्य रूप से परिणीत करने का ना हो और प्रार्थी उससे भयभीत ना हुआ हो तो अपराध गठित नहीं होगा।

17. इस प्रकार से अभिलेख पर उक्त आरोपियों के संबंध में

जो अभियोजन की साक्ष्य आई है, उसे देखा जाए तो केवल यह कहा गया है, कि मां बहिन की गालियां दी गई थीं, धारा-294 भा0द0वि0 के प्रमाण के लिए यह विश्वसनीय साक्ष्य आनी चाहिए कि किस आरोपी के द्वारा कौन से अश्लील शब्दों का उच्चारण किस स्थान पर किया गया क्या वह लोकस्थान या लोकदृश्य स्थान की परिधि में आता है, क्योंकि उक्त आरोप व्यक्तिगत श्रेणी का होता है, और उसके संबंध में सामूहिक स्वरूप की साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं होती है।

18. प्र0पी0-02 का नक्शा मौका देखा जाए तो उसमें मकान के आंगन के अंदर जो क्रमांक 01 से दर्शित है, और लाल स्याही से + (धन) के निशान के रूप में रेखांकित किया है, उसे घटनास्थल बताया है, जो कि मकान के बीच का आंगन है, अर्थात् आवास का अंग है, आम रास्ते से लगा नहीं है, ऐसे में सर्वप्रथम तो घटनास्थल लोकस्थान या लोकदृश्य स्थान की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि घर के अंदर के आंगन में भवन स्वामी की अनुमति के बगैर कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है, जो मौखिक साक्ष्य आई है, उसमें भी ससुराल में घर के अंदर की घटना बताई है, उससे भी घटनास्थल धारा-294 भा0द0वि0 की परिधि वाला दर्शित नहीं है, तथा मां बहिन की गाली दी, यह शब्द अश्लीलता की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि उक्त अपराध के लिए प्रत्येक आरोपी के संबंध में स्पष्ट शब्द बताया जाना चाहिए जिससे उनकी अश्लीलता का भान हो सके, क्योंकि कोई शब्द अश्लीलता की परिधि में होगा तभी उससे क्षोभ उत्पन्न हो सकता है, जिसका प्रकरण में सर्वथा अभाव है, ऐसे में धारा-294 भा0द0वि0 के आरोप से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दोषमुक्ति विधि विरुद्ध नहीं मानी जा सकती है।

19. जहां तक जान से मारने की धमकी देने और उससे भयोपरत होने का प्रश्न है, इस बारे में भी अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य में कहीं भी यह नहीं आया है, कि जो धमकी देना जसोदा बाई और कमलसिंह के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में बताया गया है, उससे उन्हें कोई भय कारित हुआ हो, आक्रोश व्यक्त करने के परिपेक्ष्य में यदि कोई धमकी वाले शब्द उच्चारित करता है, तो उससे अपराध घटित होना नहीं माना जा सकता है, और अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है, उसमें उक्त बिन्दु पर भी यह नहीं बताया गया है, किस आरोपी ने धमकी में क्या शब्द कहे, तथा उच्चारित शब्दों से कोई भय उत्पन्न हुआ हो, ऐसा भी किसी साक्षी ने नहीं बताया है, जिससे धारा-506 भाग-02 भा0द0वि0 को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक अवयवों की पूर्ति उपलब्ध साक्ष्य से कतई नहीं होती है, और इस बिन्दु पर भी सामूहिक स्वरूप की साक्ष्य विधिक रूप से ग्राह्य योग्य नहीं है, ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा-506 भाग-02 भा0द0वि0 के आरोप में दोषमुक्ति करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, ऐसे में धारा-294 और 506 भाग-02 भा0द0वि0 के संबंध में अपील के आधार विधिक बल नहीं रखते हैं और दोषमुक्ति पुष्टि योग्य है, फलतः बिन्दु क्रमांक 01 अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।



**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-02 एवं 03 का विश्लेषण एवं निराकरण**

20. उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का विश्लेषण और निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने और सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
21. जहां तक बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 का प्रश्न है, इस संबंध में अभियोजन की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य में डॉ० संतोष सोनी अ०सा०-04 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने दिनांक 16/12/10 को जसोदा बाई का मेडीकल परीक्षण करते हुए बाएं गाल पर 02 x 01 सेमी० का नीलगू निशान दाहिनी कोहनी में दर्द की शिकायत और मुंड़ी चोट, गर्दन मोड़ने में परेशानी, पीठ में दर्द तथा खोपड़ी पर सूजन की चोटें पाना बताते हुए प्र०पी०-03 की मेडीकल रिपोर्ट तैयार कराना बताते हुए चोटें साधारण होकर सख्त भौथरी वस्तु से संभावित बताई है, और मोटरसाइकिल से गिरने पर भी आने की संभावना व्यक्त की है, प्र०पी०-03 का अवलोकन करने पर उसमें चोटों की समयावधि का उल्लेख नहीं किया गया है, न चिकित्सक से पूछा गया मेडीकल परीक्षण दोपहर पश्चात 04:00 बजे प्र०पी०-03 मुताबिक किया गया था, प्र०पी०-05 की एफ०आई०आर० मुताबिक घटना दिनांक 15/12/10 के शाम 05:00 बजे की बताई गई है, अर्थात् 24 घंटे के भीतर परीक्षण हुआ है और समयावधि के बारे में बचाव पक्ष की ओर से कोई सुझाव न दिए जाने से चोटें 24 घंटे के भीतर की मानी जाए, तो घटना के समय की संभावित हो सकती है, चूंकि प्रकरण में दोषसिद्धि के बिन्दु पर आरोपीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई अपील नहीं है, ऐसे में दोषसिद्धि के बिन्दु पर अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल दण्डाज्ञा के बिन्दु पर दांडिक अपील प्रस्तुत की गई है, इसलिए यही विचार में लेना होगा कि जो केवल अर्थदण्ड की दण्डाज्ञा अधिरोपित की गई है क्या वह न्यायसंगत मानी जा सकती है।
22. अपीलार्थी अधिवक्ता ने स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के आधार पर कड़े दण्ड की मांग की है, किंतु अभिलेख पर अभियोजन की जिस प्रकार की साक्ष्य आई है और जिस प्रकार से फरियादिया/अपीलार्थी जसोदा ने अपनी मारपीट बताई है, और उसे जो चोटें प्र०पी०-03 मुताबिक आई है, उनमें केवल दो चोटें ऐसी हैं, जो बाहमी तौर पर देखी जा सकती है, जैसे गाल पर नीलगू निशान और खोपड़ी में सूजन, दर्द की शिकायत का कोई आंकलन नहीं हो सकता है, क्योंकि दर्द महसूस किया जाता है और चिकित्सक बताने पर ही लिखता है, तथा पारिवारिक विवाद को देखते हुए और आरोपीगण/प्रत्यर्थीगण की संख्या को देखते हुए, कारावास की दण्डाज्ञा प्रकरण के लिए उचित नहीं है, क्योंकि पारिवारिक संबंधों में सुधार की संभावना रहती है, तथा आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि के प्रमाण नहीं है, रायभान और पूरन अलग-अलग निवास करते हैं तथा 04 वर्ष से अधिक विचारण भी

चला है, ऐसे में सुधारात्मक दृष्टिकोण जो विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय की कंडिका 34 मुताबिक अपनाया है, उसे अविवेकपूर्ण नहीं माना जा सकता है, वैसे तो सदाचार की परवीक्षा पर भी छोड़े जाने की परिस्थितियां विद्यमान थीं, कारावास की दण्डाज्ञा उन मामलों में दी जाना आवश्यक होती है, जिनसे जनसामान्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ऐसे में अपीलार्थी का यह आधार कि ऐसे मामलों में नरम रुख अपनाए जाने से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अपराध करने वालों के होंसले बुलंद होंगे, यह उचित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि साधारण मामलों में तो उदारता आवश्यक होती है, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-323/34 भा0द0वि0 के अत्यंत साधारण चोटों के मामलों में केवल अर्थदण्ड की दण्डाज्ञा देने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है, ऐसे में इस बिन्दु पर भी प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

23. उपरोक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की प्रस्तुत दांडिक अपील में कोई विधिक बल नहीं है, फलतः उसे सारहीन मानते हुए, निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय की पुष्टि की जाती है।
24. अपील में प्रस्तुत प्रत्यर्थीगण/आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
25. प्रकरण में निराकरण के लिये कोई संपत्ति जब्त नहीं है।
26. निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भेजा जावे।

दिनांक: 12 जनवरी 2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड